मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

निविदाएं आमंत्रित है

निविदा क्रमांक 14067/वि.स./संपदा/2017 भोपाल, दिनांक 9/6/17

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय की लगभग 1000 क्विंटल रद्दी के विक्रय हेतु सीलबंद निविदाएं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल के नाम से दिनांक 21.6.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

रद्दी का अवलोकन दिनांक 15.6.17 से 19.6.2017 तक कार्यालयीन समय मे 11.00 से 4.00 बजे तक केयर टेकर मोबाईल नं. 9827359791 को सूचित कर किया जा सकता है। इच्छुक फर्म द्वारा अपनी निविदाएं प्रवेश पत्र कार्यालय (गेट क्रमांक - 5 के पास) में रखी निविदा पेटी में कार्यालय दिवस में डाली जा सकेगी। साथ ही अमानत राशि हेतु रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल के नाम से देय राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट निविदा के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही रद्दी विक्रय से संबंधित नियम व शर्तो की जानकारी विधानसभा की वेबसाईट www.mpvidhansabha.nic.in से देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते राशि रूपये 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) में विधानसभा सचिवालय की संपदा शाखा से प्राप्त कर सकते है।

प्राप्त निविदायें दिनांक 22.6.2017 को अपरान्ह 04.00 बजे समिति कक्ष क्रमांक 03 में निविदाकर्ताओं एवं वरिष्ठ क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल को होगा।

(सुधीर शर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा
दूरभाष क्रं. 0755-2523142

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

निविदाकारों हेतु सामान्य शर्ते / प्रपत्र :-

1. निविदाकार की संस्था का पंजीयन होना अनिवार्य है।

2. मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय की रद्दी क्रय के इच्छुक निविदादाताओं को अमानत राशि रूपये 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल के नाम देय होगा।

3. बैंक ड्राफ्ट वापसी की स्थिति में निविदा के साथ जमा की गई अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. विक्रय योग्य रद्दी का मूल्य प्रति किलो मूल्य के आधार पर होगा। उच्चतम निविदाकार को रद्दी का विक्रय किया जावेगा। निविदाकार को संपूर्ण रद्दी को धर्मकांटा पर एकजायी तौल कराना होगा।

5. सफल निविदाकार को वास्तविक रकम निविदा स्वीकृति के तुरंत पश्चात् एक मुश्त जमा करना होगी, व विक्रय पर लगने वाले विक्रय कर व अन्य समस्त देय कर आदि को भी जमा करना होगा।

6. विक्रय की जाने वाली रद्दी जैसी भी है जिस स्थिति में है, को दिनांक 15.6.2017 से 19.6.2017 तक दिन मे 11.00 से 4.00 बजे तक नवीन विधान सभा भवन में देखा जा सकेगा।

7. प्राप्त सीलबंद निविदाएं दिनांक 22.6.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे वरिष्ठ क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी।

8. सफल निविदाकार को समस्त रद्दी का मूल्य (बैंक ड्राफ्ट की राशि घटाकर) निविदा स्वीकृति के तुरंत पश्चात जमा करना होगा एवं 10 दिनों के अंदर रद्दी को उठाना अनिवार्य है। अन्यथा इसके पश्चात् रूपये 500/- प्रतिदिन गोदाम किराया देय होगा, साथ ही रद्दी उठाने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

9. रद्दी विक्रय हेतु प्राप्त निविदाओं के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट उच्चतम निविदाकार को छोड़, शेष को रद्दी नीलामी की कार्यवाही उपरान्त उनके लिखित आवेदन पर वापस किये जा सकेंगे।

10. विक्रय की तिथि एवं समय परिवर्तन का पूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल को होगा। प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा। जो कि निविदाकार को स्वीकार करना होगा।

11. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल, (म.प्र.) रहेगा।

मैं निविदाकार घोषणा करता हूं कि निविदा फार्म पर दी गई जानकारी पूर्णत: सत्य है जिसे मैंने पढ़ एवं समझ लिया है तथा सरल क्रमांक 1 से 11 तक दिये गये नियम एवं शर्ते मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।

उप सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

9/6/17

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम
फर्म/संस्थान का नाम/एवं पता / सील
मोबाईल नं.